2019/00197

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री जयरूपचंद पुत्र श्री मोतीलाल प्रजपत जाति प्रजापत निवासी रामसीन तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर		लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 22 वर्ष 2019

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.09.2019	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 22.1.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर महोदय को जांच करवाने हेतु उस पर कि गई कार्यावाही से संबंधित सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 22.1.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर महोदय को जांच करवाने हेतु उस पर कि गई कार्यावाही से संबंधित सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट का मूल प्रार्थना पत्र पुलिस विभाग से संबंधित होने से इस कार्यालय के पत्र कमांक 392 दिनांक 19.1.2019 द्वारा पुलिस विभाग सिरोही को प्रेषित कर दिया है। उनके द्वारा अपीलांट को पत्र कमांक 813 दिनांक 14.2.2019 के द्वारा निर्धारित शुल्क रूप्ये 50/– उनके कार्यालय में जमा कराने का आदेश दिया गया है अतः अपीलांट निर्धारित शुल्क अति. पुलिस अधीक्षक सिरोही के कार्यालय में जमा कराकर सूचना प्राप्त करे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (सुरेन्द्र कुमार सोलंकी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned by CamScanner